ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DR. RAM MANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, AYODHYA

AYODHYA-224001

सन्दर्भ संख्या:AWADHUUNI/संब/ 1608 /2023

दिनांक:03/06/2023

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 03/06/2023) से K.N.I. P.S.S. SULTANPUR को PG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURE (2023-2024)	AGRONOMY
2	MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURE (2023-2024)	HORTICULTURE
3	MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURE (2023-2024)	GENETICS AND PLANT BREEDING
4	MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURE (2023-2024)	ENTOMOLOGY
5	MASTER OF SCIENCE IN AGRICULTURE (2023-2024)	AGRICULTURE CHEMISTRY AND SOIL SCIENCE

विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2023-2024 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- शैक्षिक सत्र ~~2019-20~~ 2022-23 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2023-2024 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र ~~2019-20~~ 2022-23 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र ~~2020-21~~ 2023-24 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

3- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

6- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

7- . संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

8- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

9- . महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-....., उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Sultanpur मण्डल,
4. प्रबन्धक, K.N.I. P.S.S. SULTANPUR को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक,K.N.I. P.S.S. SULTANPUR, Sultanpur
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुल सचिव

Print

ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

DR. RAM MANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, AYODHYA

AYODHYA-224001

सन्दर्भ संख्या:AWADHUUNI/संब/ 1462 /2023

दिनांक:11/05/2023

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांकः 11/05/2023) से K.N.I. P.S.S. SULTANPUR को PG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	BACHELOR OF ARTS (2023-2024)	HOME SCIENCE
2	BACHELOR OF ARTS (2023-2024)	MILITARY STUDIES
3	MASTER OF ARTS (2023-2024)	SOCIOLOGY

स्ववि०

पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांकः 01/07/2023 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 ^^The Executive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction** की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

2- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा।

3- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

4- सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

5- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

6- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

7- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

8- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

9- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10- रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांकः 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-..., उ.प्र. शासन, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Sultanpur मण्डल,

4. प्रबन्धक, K.N.I. P.S.S. SULTANPUR को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. परीक्षा नियंत्रक,Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University. AYODHYA, Sultanpur

6. कुलसचिव कार्यालय।

7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुल सचिव

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांक: लो0अ0वि0/सम्ब0/2019/206

दिनांक : 30-05-2019

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनॉक 30.05.2019 के अनुपालन में के0एन0आई0 पी0एस0एस0, सुलतानपुर के परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एग्री कल्चरल बगरल कमेस्ट्री, एग्रोनॉमी,, इन्टोमोलॉजी, जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग तथा हार्टीकल्चर एण्ड एक्सटेंशन आदि विषयों को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2019-20 से आगामी दो वर्षों हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तावित पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु प्राप्त निरीक्षण मण्डल आख्या को दिनॉक: 30 मई, 2019 को सम्बद्धता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त प्रकरण पर यह पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नगत महाविद्यालय को इस शर्त के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है कि दिनॉक: 30 जून, 2019 के पूर्व याचित पाठ्यक्रम/विषय में मानकानुसार शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित करा लिये जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त तिथि तक शिक्षकों का अनुमोदन नहीं करा लिया जाता है तो याचित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष (सत्र 2019-20) हेतु छात्र एवं छात्राओं का प्रवेश कदापि न किये जाये तथा निर्गत सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय मे समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा हैं।
4. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।
7. प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड कराना अनिवार्य होगा।
8. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनॉक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/ 2012 दिनॉक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनॉक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
11. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, के0एन0आई0 पी0एस0एस0, सुलतानपुर।
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. प्रभारी ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

दूरभाष 05278-[illegible]
फैक्स – 05278-[illegible]

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद (उ0प्र0)

Letter No. Dr.RLAU/AffiL/2018/ 8735 **Dated: 10-09-2018**

Revised Letter

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that **Kamla Nehru Institute of Physical & Social Sciences, Sultanpur** is affiliated to the Dr. RamManohar Lohia Avadh University, Faizabad and recognised by the University Grants Commission (if applicable) and the following Courses/Subjects are taught in said college as per approval-

S. No.	Name of the Course(s) and Duration	Affiliation		Period of Validity for the year(s)
		Permanent	Temporary	
1	Three year B.A. Courses in Hindi, English, Sanskrit, Urdu, Geography, Economics, Sociology, Political Science, Med. History, Education, Psychology	Permanent		-
2	Two year M.A. Course in Hindi, English, Economics, Geography, Political Science, Med. History	Permanent		-
3	Three year B.Sc. Courses in Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Mathematics, Electronics, Microbiology, Environmental Science	Permanent		-
4	Two year M.Sc. Chemistry, Physics, Zoology, Botany, Mathematics, Microbiology, Environmental Science	Permanent		-
5	Three year B.Com. Course	Permanent		-
6	Two year M.Com. Course	Permanent		-
7	Three year B.Sc. Home Science Course	Permanent		-
8	Two year M.Sc. Home Science Course in Food and Nutrition, Child Development	Permanent		-
9	Four year B.Sc. Agriculture Course	Permanent		-
10	Two year B.Ed. Course	Permanent		-
11	Two year M.Ed. Course	Permanent		-
12	Two year B.P.Ed. Course	Permanent		-
13	Three year B.B.A. Course	Permanent		-
14	Three year LL.B. Course	Permanent		-

10/9/18

Competent Authority
(With Name, Designation, Seal and Signature)
Registrar
Dr. R.M.L. Avadh University
FAIZABAD

उत्तर क्षेत्रीय समिति
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

NCTE

Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

File No./NRC/NCTE/UP-216, UP-23 & UP-603/2018/197210

Dated: - 25 SEP 2018

To,

The Principal,
Kamla Nehru Institute of Physical & Social Sciences,
Sultanpur, Pin Code – 228118,
Uttar Pradesh

Subject: - Status of Recognition of B.Ed., M.Ed. & B.P.Ed. courses.

Sir,

With reference to your letter dated 21.09.2018 on the subject cited above, it is to inform you that the recognition for B.Ed., M.Ed. & B.P.Ed. courses was granted to your institution as per details given below: -

Sr. No.	File No.	Course	Seats	Recognition Order No. & Date
1.	UP-216	B.Ed.	100	F. No./NRC/NCTE/UP-Common Orders (UP-216)/2015/111716 dated 05.06.2015
2.	UP-23	M.Ed.	15	F. No./F-3/UP-23/M.Ed./2000/4723 dated 25.07.2000
3.	UP-603	B.P.Ed.	60	F. No./NRC/NCTE/F-3/UP-603/2002/8930 dated 03.12.2002

The said recognition is not withdrawn by NRC, NCTE till date, therefore, the same is valid as on today. The duration of the B.Ed., M.Ed. & B.P.Ed. courses as per NCTE Regulations, 2014 is two years.

Yours faithfully,

(Satish Gupta)
Regional Director (I/C)

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248122

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2015/117 दिनांक : 5/9/ .2015

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
के0एन0आई0पी0एस0एस0,
सुलतानपुर

विषय: वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 एवं0 एम0काम0 पाठ्यक्रम में अतिरिक्त सेक्शन संचालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कुलपति महोदय ने आपके महाविद्यालय को निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली 1973 की धारा–11.27 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम में दो अतिरिक्त यूनिट (तीन सौ छात्र प्रति यूनिट) (विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार निर्धारित सीटों के आधार पर) तथा परास्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त सेक्शन (प्रति सेक्शन निर्धारित सीटों के आधार पर) की सत्र 2015–16 से संचालित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की है।

भवदीय,

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियन्त्रक।
2. वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. उप कुलसचिव (परीक्षा)।

उप कुलसचिव

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

पत्र संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2015/109 दिनांक 20/8/2015

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
के0एन0आई0 पी0एस0एस0,
सुलतानपुर।

विषयः स्नातक स्तर पर कृषि विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एस–सी0 कृषि पाठ्यक्रम में अतिरिक्त सेक्शन संचालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कुलपति महोदय ने आपके महाविद्यालय को निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली 1978 की धारा–11.27 के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कृषि विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एस–सी0 कृषि पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त यूनिट (तीन सौ छात्र) (प्रति सेक्शन निर्धारित सीटों के आधार पर) को सत्र 2015–16 से संचालित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की है।

भवदीय,

उप कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलसचिव/परीक्षा नियन्त्रक।
2. वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. उप कुलसचिव (परीक्षा)।

उप कुलसचिव

एस.टी.डी./STD 05278
V.C. 246223, 246330 (O)
V.C. 246224, 245209 (R)
फैक्स/Fax V.C. 246330 (O), 245209 (R)
Registrar 245057 (O), 246042 (R)
F.O. 246386 (O), 225968 (R)

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)
Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक/Ref. : लो0अ0वि0वि0/सम्ब0/ 1007 /2006 दिनांक/Date : 13.9.2006

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक,
के0एन0आई0महाविद्यालय,
सुल्तानपुर ।

महोदय,

कृपया अपने प्रेषित पत्र दिनांक 5.9.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने अतिरिक्त सीट की माँग की है । आपके प्रार्थना पत्र पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13.9.2006 के अनुपालन में आपके महाविद्यालय को शासनादेश के सापेक्ष 25% वृद्धि को सम्मिलित करते हुए बी0ए0 प्रथम वर्ष में 1733 सीट बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में - 1200 सीट एवं बी0काम0 प्रथम वर्ष में 480 सीट आवंटित की जाती है ।

अतः आपको कुल 3413 सीटों पर प्रवेश की अनुमति इस आशय के साथ प्रदान की जाती है कि प्रवेश प्रक्रिया प्रत्येक दशा में दिनांक 15 सितम्बर, 2006 तक पूर्ण कर लिया जाय ।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव (सम्ब0)।
कृते, कुलसचिव

संलग्नक-01

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

पत्रांकःलो0वि0 / शै0 /4974/ 2004 4974 दिनांकः 24.06.2005

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
के०एन०आई० सुलतानपुर

विषयः महाविद्यालय में प्रवेश करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

शैक्षिक सत्र 2004–05 की वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हो रहे हैं। प्रवेश कार्य प्रारम्भ होने वाले हैं।

शैक्षिक सत्र 2005–06 समय से प्रारम्भ करने में आपका सहयोग अपेक्षित है। इस हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन आप तथा आपके सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आपका तथा आपके सहयोगियों का शैक्षिक वातावरण बनाये रखने में निरन्तर सहयोग प्राप्त होता रहेगा। ऐसी आशा के साथ आपसे निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि:–

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रकिया समयबद्ध योजना बना कर पूर्ण कर ली जाय।
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर भाग–एक में प्रवेश, प्रवेश समिति के निर्णय जो आपको पत्रांक संख्याः लो0अ0वि0 / शै0 / 3274 / 2004 दिनांक 30.06.2004 द्वारा सत्र 2004–05 के लिए प्रेषित किया गया था, के अनुसार ही प्रवेश करने का कष्ट करें। भविष्य में प्रवेश समिति द्वारा दिए गए अन्य निर्देश एवं शासन द्वारा जारी अन्य आदेश, यदि कोई होंगे तो उनकी सूचना दी जाएगी तथा तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

(i) स्नातक– कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय –एक वर्ग में निर्धारित छात्र संख्या
अधिकतम – 81 (कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक वार्ड की वास्तविक संख्या के साथ)

(ii) स्नातकोत्तर–कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय – जिनमें प्रायोगिक पाठ्यक्रम न हो
अधिकतम – 81 (कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक वार्ड की वास्तविक संख्या के साथ)

(iii) स्नातकोत्तर– कला संकाय (प्रायोगिक विषयों में) –एक वर्ग में निर्धारित छात्र संख्या
अधिकतम– 50+कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक वार्ड की वास्तविक संख्या जो पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक (10 प्रतिशत से अधिक) नहीं होगी।

(iv) स्नातकोत्तर– विज्ञान संकाय (रसायन विज्ञान)–एक वर्ग में निर्धारित छात्र संख्या
अधिकतम – 50+कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक वार्ड की वास्तविक संख्या जो पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक (10 प्रतिशत से अधिक) नहीं होगी। (वार्ड सहित 50+4 = 54 से अधिक नहीं)

(v) स्नातकोत्तर– विज्ञान संकाय (भौतिकी, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)–एक वर्ग में निर्धारित छात्र संख्या
अधिकतम 38 कर्मचारी, अधिकारी एवं शिक्षक वार्ड की वास्तविक संख्या जो पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक (10% से अधिक नहीं होगी।) (वार्ड सहित 38+3=41 से अधिक नहीं)

3. महाविद्यालय में छात्र अनुशासन बना रहे और शैक्षिक वातावरण का सृजन हो, इस हेतु शिक्षकों की समितियाँ गठन कर छात्रों की गतिविधियों का दिन-प्रतिदिन सूक्ष्म निरीक्षण किया जाय और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर चिन्हित छात्र-छात्राओं के शैक्षिक वातावरण बनाये रखने के लिए उत्प्रेरित किया जाय।

4. स्नातक भाग- दो एवं तीन तथा स्नातकोत्तर भाग-दो की कक्षायें प्रारम्भ कर दी जॉय ताकि छात्र-छात्रायें कक्षाओं में रहें और पढ़ाई की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो सके। खेल-कूद में अभिरूचि रखने वाले ज्येष्ठ छात्र-छात्राओं के साथ कनिष्ठ छात्र-छात्राओं की प्रतियोगिताओं के आयोजन किये जॉय ताकि छात्र-छात्राओं का ध्यान सृजनात्मक वातावरण की ओर आकर्षित हो सके।

5. महाविद्यालय में कनिष्ठ छात्र-छात्राओं को प्रवेश से लेकर व्याख्यान कक्ष और पुस्तकालय तक के क्रिया-कलापों की जानकारी के लिए शिक्षकों के साथ-साथ अधीनस्थ मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मिलित कर समितियों का गठन किया जाय ताकि नवागत छात्र-छात्राओं को प्रक्रिया की विधिवत जानकारी प्राप्त हो सके। यह समितियाँ प्रारम्भिक दिनों में कम से कम 45 दिनों तक सक्रिय रूप से कार्य करें।

6. छात्रावासों में छात्रावासियों को प्रारम्भिक दिनों में कम से कम दो माह तक वार्डेन तथा छात्रावास अधीक्षक को विशेष निगरानी के निर्देश दिये जॉय और वार्डेन तथा छात्रावास अधीक्षक के अतिरिक्त कुलानुशासक तथा अन्य वरिष्ठ शिक्षकों से समय-असमय प्रतिदिन आकस्मिक निरीक्षण करने की व्यवस्था बनाई जाय।

7. महाविद्यालय में खाली पीरियड के समय छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक बैठने के लिए कक्षों की व्यवस्था की जाय। पृथक-पृथक रीडिंग रूम, बाथरूम तथा पीने के पानी की व्यवस्था की जाय।

8. नवागत छात्र-छात्राओं के साथ ज्येष्ठ छात्र-छात्राओं को रैगिंग का अवसर प्राप्त न हो सके एतदर्थ गत वर्षों की भाँति कड़े नियम बना कर सभी छात्र-छात्राओं को अवगत करा दिया जाय। परिसर में जगह-जगह ऐसे निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर तथा छात्रावासों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा दिया जाय। शासन द्वारा जारी रैगिंग के निर्देश पुनः संलग्न है। इनका कड़ाई से पालन किया जाय।

9. नवागत छात्र-छात्राओं को ऐसी शिकायतें करने हेतु प्राचार्य के स्तर पर व्यवस्था की जाय और शिकायत कर्ताओं के नाम व कक्षा को गुप्त रख कर शिकायत पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाय।

10. दोषी पाये गये ज्येष्ठ छात्र-छात्राओं के अध्यापकों तथा अभिभावकों को महाविद्यालय में एकत्र कर ऐसे छात्रों के कृत्यों से समय-समय पर अवगत कराया जाय।

11. छात्राओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए यथा संभव महिला प्राध्यापकों की उपसमिति का गठन किया जाय जिसमें प्राचार्य/प्राचार्या अध्यक्ष रहें।

आशा है उपर्युक्त पर आप द्वारा विशेष ध्यान देकर अपने महाविद्यालय में अध्ययन करने आये छात्र-छात्राओं को शैक्षिक दिशा प्रदान करने का प्रभावी प्रयास किया जायेगा।

भवदीय

25/6/05

(बी0आर0 कनौजिया)

कुलसचिव,